फर्द अहकाम

(नियम 20)

आज अदालत: अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

(नीरज) बनाम सरकार

विविध प्रकरण सं0 03/2025

अधिवक्ता प्रार्थी :–

मो.नम्बर :–

अधिवक्ता अप्रार्थी:–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
08.09.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली विविध प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्रीगंगानगर	1748 09/09/25
16.09.25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट परिसर श्रीगंगानगर के पत्रांक सी.जी./जिला रिकार्ड/2025/142 दिनांक 16.09.25 को रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, जो शा. मिसल हो। पीठासीन अधिकारी R.O. meeting में व्यस्त है, पत्रावली आयन्दा दिनांक 07/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7/10/25	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29.10.25	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 11.11.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11.11.25	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 18.11.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18.11.25	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 02/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
02/12/25	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 17/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with OKEN Scanner

17.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 23.12.2025 को पेश हो।

23.12.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अनवानी ख्यालीराम बनाम तहसीलदार वगैरा में निर्णय दिनांक 29.11.2024 को निर्णय किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 29.11.2024 में टाईप मिस्टेक से कुछ स्थानों पर अपीलांट/ख्यालीराम का हिस्सा 3420/6199 के स्थान पर 3240/6199 दर्ज हो गया है, जबकि अपील में सही दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा इंतकाल करवाने के लिए पटवारी से मिले तो पटवारी ने निर्णय में हिस्सा गलत दर्ज होना बताया तथा इसे दुरस्त करवाने को कहा, इसलिए निर्णय को इस हद तक दुरस्त किया जाना आवश्यक है। धारा 152 सीपीसी में क्लेरिकल, अर्थमेटिकल गलती को निर्णय में कभी भी दुरस्त करवाया जा सकता है, इसलिए पत्रावली को पेशी में लेकर निर्णय को दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2024 में अपीलांट/ख्यालीराम का हिस्सा 3420/6199 के स्थान पर 3240/6199 दर्ज हो गया है, जिसे दुरस्त कर अपीलांट/ख्यालीराम का हिस्सा 3420/6199 दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावें।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अनवानी ख्यालीराम बनाम तहसीलदार पदमपुर में निर्णय दिनांक 29.11.2024 में टाईप मिस्टेक/संहवन से कुछ स्थानों पर अपीलांट/ख्यालीराम का हिस्सा 3420/6199 के स्थान पर 3240/6199 दर्ज हो गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार अपीलांट/ख्यालीराम का हिस्सा 3420/6199 ही बनता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2024 में अपीलांट/ख्यालीराम के हिस्से 3240/6199 के स्थान पर 3420/6199 पढ़ा जावे। उक्त अनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2024 का शेष भाग यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner